

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 41/2025

तारीख दायर:-18.06.2025

पीठासीन अधिकारी:-विजयेश कुमार पण्ड्या, आर.ए.एस

खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़

-प्रार्थी

बनाम

श्री लक्षित जैन पुत्र श्री नेमीचन्द, मैसर्स मुकेश कुमार चिमनलाल नया बोरिया

- अप्रार्थी

:-आदेश:-

दिनांक 07/10/2025

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड बेसन का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 23.12.2024 को 4.30 पी.एम. को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मै0 मुकेश कुमार चिमनलाल नया बोरिया पहुंचा वहां पर एक रक में 10 पैक पैकेट बेसन (श्री गणेश) रखे थे। उस समय मौके पर विक्रेता की हैसियत से जो व्यक्ति

उपस्थित हुआ उसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया व उसका परिचय लिया। विक्रेता ने अपना नाम लक्षित जैन पुत्र नेमीचन्द बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र मांगा गया जो विक्रेता के पास मौके पर उपलब्ध था। पैक अवस्था में रखे बेसन (श्री गणेश) पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया और बताया गया कि उक्त का एफएसएसए के तहत सैम्पल लिया जा रहा हूँ। जिसकी प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त पैक बेसन (श्री गणेश) के 4 पैकेट पैक अवस्था में वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को 260/-रु नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विक्रेता ने समझकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा बेसन को पैक पैकेट पर विक्रेता एवं गवाहान के सामने लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक, दिनांक व स्थान दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 भूरे कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ प्रतापगढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. वाई 2358 चिपकाई। नियमानुसार चारों नमूना डिब्बो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व रेपर पर होते हुए करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना के रेपर पर कोड नम्बर, सिरियल नम्बर, वस्तु का नाम, दिनांक व स्थान अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को उनके जाप्ते में लिया।

कार्यालय पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था। फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को देकर रसीद प्राप्त की। 2 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा करा कर रसीद प्राप्त की। शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी 111111 रसीद फार्म नं0 6 की पुस्त पर है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया बेसन का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेता को फर्म से सम्बन्धित कागजात की छायाप्रति प्रस्तुत करने को कहा गया। इस क्रम में मालिक द्वारा फूड लायसेंस की प्रति प्रस्तुत की।

अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित एवं जवाब देने से मना किया।


परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच लेब/बांसवाडा/एक्ट /2025/08 दिनांक 03.01.2025 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा बेसन का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है, जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी के वहां दिनांक 23.12.2024 को

उपलब्ध कुल माल 10 पैकेट की कुल कीमत 650 रु (प्रत्येक पैकेट की कीमत 60 रु) की दस गुना शास्ति अर्थात  $(10 \times 64 \times 10) = 6500$  /रु अक्षरे छह हजार पाँच सौ रु अप्रार्थी अभियुक्त पर आरोपित की जाती है । अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 अथवा नगद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 07.10.2025 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।


  
(विजयेश कुमार पण्ड्या)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक/रीडर/2025/

दिनांक 07.10.2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री लक्षित जैन पुत्र श्री नेमीचन्द, मैसर्स मुकेश कुमार चिमनलाल नया बोरिया

  
(विजयेश कुमार पण्ड्या)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़